अखिल भारतीय बाघ अनुमान-2022

संदर्भ: अखिल भारतीय बाघ अनुमान-2022 की विस्तृत रिपोर्ट वैश्विक बाघ दिवस पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जारी की गई।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- भारत एकमात्र राष्ट्र है जिसने टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) के पांच चक्रों को संस्थागत और पूरा किया है।
- भारत में 53 टाइगर रिज़र्व हैं, जो 18 राज्यों में फैले 75,796.83 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं।
- 2022 में आयोजित एमईई के पांचवें चक्र में, कुल 51 टाइगर रिजर्व का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया था।
- टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन करने के लिए दस स्वतंत्र क्षेत्रीय विशेषज्ञ समितियों (आरईसी) का गठन किया गया था।
- पिछले चक्रों की तुलना में मूल्यांकन मानदंडों को थोड़ा परिष्कृत किया गया था, मूल्यांकन के लिए 33 मानदंड विकसित किए गए थे।
- टाइगर रिजर्व को उनकी प्रतिशत रेटिंग के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: उचित (50-59%), अच्छा (60-74%), बहुत अच्छा (75-89%), और उत्कृष्ट (>= 90%)।
- एमईई के पांचवें चक्र में 51 टाइगर रिजर्व के लिए कुल औसत स्कोर 78.01% (50% से 94% के बीच) था।
- 12 टाइगर रिजर्व ने "उत्कृष्ट" श्रेणी, 21 ने "बहुत अच्छा", 13 ने "अच्छा" और 5 ने "उचित" श्रेणी हासिल की।
- एमईई के पांचवें चक्र ने भारत में टाइगर रिजर्व नेटवर्क के संचालन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की और कई विशिष्टताओं की पहचान की जिन्हें उच्च उत्कृष्टता के लिए बनाए रखने और सुधारने की आवश्यकता है।
- "उत्कृष्ट" श्रेणी में टाइगर रिजर्व पेरियार (केरल), सतपुड़ा (मध्य प्रदेश), बांदीपुर (कर्नाटक), नागरहोल (कर्नाटक), कान्हा (मध्य प्रदेश), बिलिगिरि रंगनाथ स्वामी मंदिर (कर्नाटक), अन्नामलाई (तमिलनाडु), पेंच (महाराष्ट्र), भद्रा (कर्नाटक), काली (पूर्व में दांडेली-अंशी) (कर्नाटक), सिमिलिपाल (ओडिशा) और मुदुमलाई (तमिलनाडु) हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 2005 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने और टाइगर रिजर्व में संरक्षण प्रयासों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
- एनटीसीए प्रभावी बाघ आवास प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों, संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करता है।
- प्राधिकरण नीतियां बनाता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है और बाघ संरक्षण पहल की निगरानी करता है।
- इसका मुख्य लक्ष्य बाघों की आबादी की सुरक्षा करना, उनके आवासों को संरक्षित करना और अवैध शिकार एवं आवास हानि जैसे खतरों से निपटना है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ)

सन्दर्भ: मैजिकपिन ने सरकार समर्थित ओएनडीसी के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचने के लिए एनसीसीएफ के साथ साझेदारी की।

एनसीसीएफ

- 16 अक्टूबर 1965 को भारत में उपभोक्ता सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना है।
- बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत।
- भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- संघटन:
  - ✓ एनसीसीएफ का प्रबंधन निदेशक मंडल के अधीन है।
  - ✓ एनसीसीएफ में सामान्य निकाय के पास अंतिम अधिकार है।
  - ✓ सामान्य निकाय के लिए आरक्षित शक्तियों को छोड़कर, निदेशक मंडल के पास एनसीसीएफ की अधिकांश शक्तियाँ हैं।
  - ✓ वर्तमान निदेशक मंडल की स्वीकृत संख्या 21 है।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (Open Network for Digital Commerce- ONDC)

- खरीदारों और विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेनदेन के लिए ओपन-सोर्स नेटवर्क।
- गतिशीलता, किराना, खाद्य वितरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य की सुविधा प्रदान करता है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT की एक पहल है।
- ऑर्डर देने के लिए खरीदार-साइड ऐप्स, व्यापारी लिस्टिंग के लिए विक्रेता-साइड ऐप्स और डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।
- लाभ:
  - ✓ ई-कॉमर्स प्रणाली छोटे खुदरा विक्रेताओं को देश भर में अपने सामान और सेवाएं पेश करने का मौका प्रदान करती है।
  - ✓ ओएनडीसी का उपयोग करने वाले व्यापारी क्रेडिट हिस्ट्री के लिए डेटा बचा सकते हैं और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं।
  - ✓ ओएनडीसी का लक्ष्य संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटल बनाना, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।

✓ ओएनडीसी के तहत प्रोटोकॉल कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन और ऑर्डर पूर्ति जैसे कार्यों को मानकीकृत करते हैं।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)

सन्दर्भ: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होने वाले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों सहित पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित किया है।

- दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया है।
- इसमें वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए आपातकालीन उपाय शामिल हैं।
- जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो GRAP सक्रिय हो जाता है।
- इस योजना को पहली बार जनवरी 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- कार्यान्वयन:
  - ✓ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को लागू करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है।
  - ✓ उप-समिति में सीएक्यूएम के अधिकारी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आईएमडी के एक वैज्ञानिक, आईआईटीएम के एक विशेषज्ञ और एक स्वास्थ्य सलाहकार शामिल हैं।
  - ✓ यह उप-समिति नियमित रूप से बैठक करने और आवश्यकतानुसार GRAP को सक्रिय करने के आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
  - ✓ राज्य सरकारों और सीएक्यूएम द्वारा जारी निर्देशों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, सीएक्यूएम के आदेशों और निर्देशों को प्राथमिकता दी जाएगी।

Air Quality Stage	AQI Range	Actions Taken
Stage I	201-300	Enforce NGT / Hon'ble SC's order on over-aged diesel / petrol vehicles.
Stage II	301-400	Rigorous actions to combat air pollution at identified hotspots in the region.
Stage III	401-450	Impose strict restrictions on BS III petrol and BS IV diesel four-wheelers in certain areas, may suspend physical classes in schools for primary grade children up to Class 5.
Stage IV	> 450	Prohibit entry of four-wheelers registered outside Delhi, except for electric vehicles, CNG vehicles, and BS-VI diesel vehicles.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन 28 अक्टूबर, 2020 को एक अध्यादेश के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया गया था।

- इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और पड़ोसी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के मुद्दों के समाधान के लिए बनाया गया था।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) सीएक्यूएम के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।
- सीएक्यूएम में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं।
- इसके पास वायु प्रदूषण से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आदेश जारी करने और उपायों को लागू करने की शक्ति है।

बायोसिमिलर

संदर्भ: स्वास्थ्य मंत्रालय बायोसिमिलर दवा अनुमोदन दिशानिर्देशों में सुधार करेगा, जिससे प्रक्रिया अधिक मजबूत और वैश्विक विकास के अनुरूप बनेगी।

बायोसिमिलर क्या है?

- बायोसिमिलर एक जैविक दवा है जो किसी अन्य जैविक दवा के समान है।
- बायोसिमिलर और संदर्भित उत्पादों में तुलनात्मक रूप से सुरक्षा, शुद्धता और क्षमता होती है, लेकिन चिकित्सकीय रूप से निष्क्रिय घटकों में भिन्नता हो सकती है।
- वे विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली मौजूदा जैविक दवाओं के प्रतिरूप होते हैं।
- बायोसिमिलर का उत्पादन उनकी संदर्भ दवाओं के समान शुरुआती अमीनो एसिड सामग्रियों और प्रक्रियाओं का उपयोग करके किया जाता है।
- उदाहरणों में सेमगली (इंसुलिन ग्लार्गिन-वाईएफजीएन), अमजेविटा (एडालिमुमैब-एटो), और इन्फ्लेक्ट्रा (इन्फ्लिक्सिमैब-डाइब) शामिल हैं।
- बायोसिमिलर निर्धारित दवाएं हैं और अपने मूल जैविक समकक्षों के लिए कम लागत वाले विकल्प के रूप में काम करती हैं।

बायोलॉजिक्स

- बायोलॉजिक्स, या जैविक उत्पाद, जीवित जीवों से बनी दवाएं हैं।
- बायोलॉजिक्स के लिए विनिर्माण प्रक्रियाएं जटिल हैं और इसमें जीवित जीव शामिल हैं।
- इनमें उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे टीके, चिकित्सीय प्रोटीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और जीन और सेल थेरेपी।

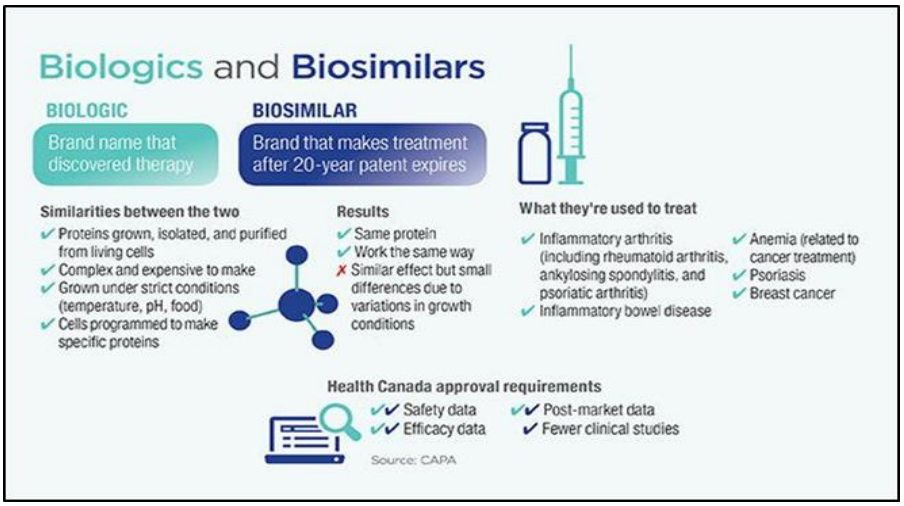

बायोसिमिलर के लिए विनियमन और विकास प्राधिकरण:

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
- संस्थागत जैव सुरक्षा समिति (आईबीसी)
- राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला जैव सुरक्षा समिति

बायोसिमिलर को विनियमित करने के लिए अधिनियम और दिशानिर्देश

- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940)
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम (1945)
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)
- पुनः संयोजक डीएनए सुरक्षा दिशानिर्देश (1990)
- आरडीएनए टीकों, डायग्नोस्टिक्स और अन्य जैविकों के लिए प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा के लिए दिशानिर्देश (1999)
- उद्योग के लिए सीडीएससीओ मार्गदर्शन (2008)

NEWS IN BETWEEN THE LINES

युगे युगीन भारत

युगे युगीन भारत के बारे में:

- "युगे युगीन भारत" भारत का आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिसका लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनना है, जो दिल्ली के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में 950 कमरों के साथ 1.17 लाख वर्गमीटर को कवर करता है।
- इसमें आठ विषयगत खंड होंगे, जो भारत के 5,000 वर्षों से अधिक के इतिहास का वर्णन करेंगे, जिसमें प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक भारत, औपनिवेशिक शासन, स्वतंत्रता संग्राम और भविष्य के दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा।
- यह संग्रहालय भविष्य के लिए प्रगति और दृष्टिकोण पर जोर देते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएगा, जिसे "भविष्य उन्मुख संग्रहालय" के रूप में डिजाइन किया गया है।
- वर्चुअल वॉकथ्रू में मौर्य से लेकर गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य जैसे ऐतिहासिक काल को दर्शाया गया है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय की प्राचीन कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं।
- भारत की सांस्कृतिक विरासत को संबद्ध करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव 12 मई, 1955 को भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी।
- मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय भवन को इंडिया गेट से रायसीना हिल तक फैले कर्तव्य पथ में एकीकृत किया जाएगा।

डोंगरिया कोंध जनजाति

डोंगरिया कोंध जनजाति भारत के ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में रहने वाले मुंडा जातीय समूह से संबंधित एक स्वदेशी समुदाय है।
नामकरण: उनका नाम "डोंगर" से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'पहाड़ी', और वे खुद को झरनिया कहते हैं, जिसका अर्थ है 'धाराओं का रक्षक।'
मान्यताएँ: वे नियमगिरि जंगल के सर्वोच्च देवता नियम राजा की पूजा करते हैं।
भाषा: वे कुई भाषा का उपयोग करते हैं, जो मुख्य रूप से बिना लिपि के बोली जाती है।
जीवनशैली: विशिष्ट आभूषणों, टैटू और हेयर स्टाइल के लिए जाना जाते हैं।
खनन विवाद: वेदांता रिसोर्सेज के साथ खनन अधिकारों पर विवाद का सामना करना पड़ा, जो एक खुली खदान के माध्यम से बॉक्साइट निष्कर्षण की योजना बना रहा था, जिससे पर्यावरण और सांस्कृतिक खतरे पैदा हो रहे थे।
नई चुनौती: 2023 के वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक (एफसीए) के कारण समुदाय के स्वामित्व वाली वनभूमि के विचलन को रोकना। एफसीए 2023 का उद्देश्य 'वन' को फिर से परिभाषित करना है, जो आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए चिंताओं को बढ़ाता है।
आश्चर्यजनक स्थिति: नियमगिरि पहाड़ी श्रृंखला का 95% हिस्सा सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में वर्गीकृत नहीं है। माने गए वनों का संभावित बहिष्कार आदिवासी और वन-निवासी समुदायों को प्रभावित करता है।
भौगोलिक प्रभाव: ओडिशा में आदिवासी जिलों सहित लगभग 66 लाख एकड़ भूमि प्रभावित।

कोशिका-मुक्त डीएनए

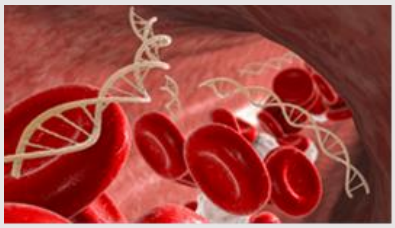

कोशिका-मुक्त डीएनए के बारे में:

कोशिका-मुक्त डीएनए (सीएफडीएनए) न्यूक्लिक एसिड (डीएनए) के छोटे टुकड़ों को संदर्भित करता है जो कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं और रक्त, मूत्र और मस्तिष्कमेरु द्रव जैसे शरीर के तरल पदार्थों में पाए जा सकते हैं।

पृष्ठभूमि: 1948 से ज्ञात, सुलभ जीनोम अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों के साथ महत्व का एहसास हुआ।

मानव रोगों में अनुप्रयोग: सामान्य विकास, कैंसर, स्वप्रतिरक्षी रोग आदि में।

नॉन-इनवेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग (एनआईपीटी): उच्च सटीकता के साथ क्रोमोसोमल असामान्यताओं के लिए भ्रूण की जांच करना।

कैंसर का शीघ्र पता लगाना: सीएफडीएनए का उपयोग कैंसर का शीघ्र पता लगाने, निदान और उपचार के लिए किया जाता है।

अंग प्रत्यारोपण निगरानी: सीएफडीएनए प्रत्यारोपित अंगों की स्वीकृति और अस्वीकृति की निगरानी में मदद करता है।

विस्तारित अनुप्रयोग: तंत्रिका संबंधी विकारों, चयापचय संबंधी विकारों आदि के लिए संभावित बायोमार्कर।

भविष्य की संभावनाएँ: सीएफडीएनए जीनोमिक्स से रोग जांच और शीघ्र निदान को बढ़ाने की उम्मीद है।

किला राय पिथौरा

किला राय पिथौरा के बारे में:

निर्माण: किला लाल कोट, जिसे बाद में किला राय पिथौरा नाम दिया गया, का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल तोमर के शासन के दौरान 1052 और 1060 ईस्वी के बीच किया गया था।

स्थापना: पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने पूर्वजों द्वारा तोमर राजपूतों से दिल्ली छीनने के बाद शहर की स्थापना और विस्तार किया।

स्थान: अरावली पहाड़ियों में स्थित, किला तोमर राजवंश को रणनीतिक और सैन्य लाभ प्रदान करता था।

सल्तनत की राजधानी: 1192 ई. में चाहमानों की हार के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला राय पिथौरा पर कब्ज़ा कर लिया और इसे सल्तनत की राजधानी बनाया।

भारत के प्रतिरोध से जुड़ा: पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाना जाता है और उन्हें कुतुब मीनार और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के पास मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।

राजवंशीय शासन: किले ने खिलजी, तुगलक, सैय्यद और लोधी सहित विभिन्न राजवंशों का शासन देखा, जो दिल्ली के विविध राजवंशीय इतिहास को प्रदर्शित करता है।

वर्तमान स्थिति और जीर्णोद्धार के प्रयास: किला जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार प्रयासों की आवश्यकता है।

प्रतिष्ठित स्थल: किला राय पिथौरा दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है।

मेरी माटी मेरा देश

'मेरी माटी मेरा देश' के बारे में:

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान के लिए 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान की घोषणा की।
- अभियान के तहत 'अमृत कलश यात्रा' देश के कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास 'अमृत वाटिका' का निर्माण करेगी।
- इसमें भाग लेकर देश अगले 25 वर्षों के अमृत काल में 'पांच संकल्पों' को पूरा करने की शपथ लेता है।
- नागरिकों को पवित्र मिट्टी के साथ शपथ लेते समय yuva.gov.in पर सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- पिछले स्वतंत्रता दिवस पर 'हर घर तिरंगा अभियान' को याद करते हैं और हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- नशीली दवाओं के खिलाफ प्रयासों की सराहना की, नवोन्मेषी तरीकों से जम्मू-कश्मीर में जागरूकता फैलाई।
- भारत में तीर्थ स्थलों पर अधिक पर्यटकों के आने के साथ, सामूहिक सांस्कृतिक जागृति पर प्रकाश डाला गया है।
- हाल ही में, अमेरिका ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करते हुए टेराकोटा, पत्थर, धातु और लकड़ी से बनी कई प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाईं

समाचार में स्थान
हर्शेल द्वीप

कनाडा के तट से दूर हर्शेल द्वीप, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्माफ्रॉस्ट पिघलने का अनुभव कर रहा है। यह पिघलती हुई जमी हुई परत चिंताएं पैदा करती है, जिसमें प्राचीन सूक्ष्मजीवों के संभावित पुन: उभरने, भूस्खलन और कटाव जैसे संभावित पर्यावरणीय व्यवधान और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन शामिल है।

ऐतिहासिक महत्व: 1890-1900 के दशक में अमेरिकी व्हेलर्स के लिए शरणस्थल के रूप में कार्य किया गया।

व्हेलिंग का पतन: 1907 में व्हेलिंग बाज़ार कमजोर हो गया, जिससे व्हेलर्स का पलायन हुआ।

इनुवियालुइट कनेक्शन: एक बार थुले इनुइट जनजातियों द्वारा निवास किया गया, बाद में मुख्य भूमि में चले गए।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: समुद्र के बढ़ते स्तर और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से द्वीप को खतरा है।

पुरातात्विक क्षति: पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से अभिलेखों का क्षरण और हानि हुई।